न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 116/2023

अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र मनीराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर।
2. सदीप पुत्र मनीराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर
3. सुरेश पुत्र मनीराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर
4. हरिसिंह पुत्र नानूराम जाति धानक निवासी मालिया तहसील नोहर ।

– सायलान

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. निलम पत्नि जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर
3. हरदत पुत्र गोरधन जाति जार्ट निवासी मालिया तहसील नोहर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
5. उप पंजीयन कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर ।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक: 24/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं. 139 / 100 के ख.न. 117/1 की 2.0110 हैक्टर भमि ख.न. 117/2 की 0.7590 हैक्टर भूमि ख. न. 65 की 7.7770 हैक्टर भूमि ख.न. 65 की/397 की 2.0230 हैक्टर कुल 12.5700 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसके सायलान सं. 1 ता 4 एवं तरतीबी प्रतिवादी सं. 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं. 338/311 के ख.न. 67 की 7.3480 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके गैरसायलान सं. 1 ता 3 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं. 139/100 की कुल 12.5700 हैक्टर भूमि स्थित है एवं उपरोक्त कृषि भूमि सायलान एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 5 के पूर्वजो के समय से लेकर आजतक कब्जा काश्त में है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि की चर्तुसीमाए तनी हुई है तथा गैरसायलान सं. 1 ता 3 सायलान की सुधारी हुई कृषि भूमि की सींव डोल नष्ट करने पर उतारू है इसलिए सायलान रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं. 139/100 की कुल तादादी 12.5700 हैक्टर भूमि में सायलान के कब्जा काश्त में मदाखलत करने से बेजा रहे इन्ही आश्यों की सायलान न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। सायलान अपने पूर्वजो के समय से लेकर वादग्रस्त कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज है तथा सायलान एवं गैरसायलान का खेत की सीमाएं आपस में चिपती हुई तथा सायलान की अच्छी किस्म की भूमि पर गैरसायलान सींव एवं डोल तोड़कर काबिज होना चाहते है तथा सायलान की सींव डोल को मिस्मार करके पर उतारू है यदि ऐसा करने में गैरसायलान कामयाब हो जाते है ते सायलान को ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा। इसलिए सा[illegible] सायलान के खिलाफ रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति जारी करवापाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश हो[illegible]किया गया। रोही म[illegible]डुमासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स[illegible]39/100 की कुल [illegible]0 हैक्ट भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:43 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई अप्रार्थीगण उक्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी सींव व डोल मिस्मार नही की गई है वाद भूमि बाबत कभी कोई विवाद नही रहा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान अललोकन किया। पपत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों/सींव व डोल का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि सायलान व गैरसायलान के नाम दर्ज है सायलान व गैरसायलान एक दुसरे के चिपते पडौसी खातेदार काश्तकार है प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा हों, उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि प्रार्थी, अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी को ही, पाबन्द करवाना चाहता है।। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी सांबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 30.05.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक.....24/11/25.....मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:43 IST
Reason: SelfAttested